

**Regarding increase in land rent and assignment fee on Cooperative Societies producing salt in Gujarat.-laid**

श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल (वलसाड) : मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा सरकार का ध्यान गुजरात के धरासणा और चारवाड़ा की सहकारी नमक उत्पादक समितियों पर नमक विभाग द्वारा लगाए गए भूमि किराए और असाइनमेंट शुल्क में अत्यधिक वृद्धि की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। नमक विभाग ने इन इकाइयों को 1974 और 1994 में 20 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया था, जिसमें 20 और वर्षों के नवीनीकरण का प्रावधान था। मूल पट्टे के अनुसार, असाइनमेंट शुल्क ₹1 और भूमि किराया ₹2 प्रति एकड़ था, जिसे 01/01/2004 से क्रमशः ₹10 और ₹5 कर दिया गया। 01/01/2013 को असाइनमेंट शुल्क ₹100 प्रति मीट्रिक टन और भूमि किराया ₹120 प्रति एकड़ कर दिया गया। साथ ही 13% ब्याज जोड़ा गया, जिससे समितियों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा है। कई अभ्यावेदन देने के बावजूद समाधान नहीं मिला है। गुजरात सरकार की सहकारी समितियों को, जिनकी भूमि 500 एकड़ से कम है, इन शुल्कों से छूट प्राप्त है, जबकि धरासणा और चारवाड़ा, जो केंद्र सरकार के अधीन हैं, असमान नीति का सामना कर रहे हैं। धरासणा का ऐतिहासिक महत्व महात्मा गांधी के सत्याग्रह से भी जुड़ा है। इससे हजारों नमक श्रमिकों की आजीविका खतरे में है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि तत्काल हस्तक्षेप कर न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित किया जाए।